



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 350 - विनियम एवं कांविनी-29/पाकालि/2017-13-विनियम / 17

दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से दिनांक 15.12.2017 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

2. लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1984 के विनियम सं०-7 (भर्ती का स्रोत) के भाग-(A) (सम्प्रेक्षा एवं लेखा) के बिन्दु सं०-(01) में लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु उल्लिखित निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-1 की व्यवस्था को तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1984 के विनियम सं०-7 (भर्ती का स्रोत) के भाग-(A) (सम्प्रेक्षा एवं लेखा) के बिन्दु सं०-(01) में लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु प्राविधानित व्यवस्था	प्रतिस्थापित की जाने वाली नवीनतम व्यवस्था
100% by promotion from amongst the accountants who have put-in a minimum of 7 years continuous service on the post.	100% by promotion from amongst the accountants who have put-in a minimum of 11 years continuous services rendered as Assistant Accountant and Accountant together as on 1 st July of the selection year.

3. उपरोक्त स्तम्भ-2 की व्यवस्था को प्रतिस्थापित किये जाने के उपरान्त लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1984 के विनियम सं०-7 (भर्ती का स्रोत) के भाग-(A) (सम्प्रेक्षा एवं लेखा) के बिन्दु सं०-(01) में उल्लिखित/प्राविधानित व्यवस्था को उक्त सीमा तक प्रतिस्थापित माना जायेगा एवं अन्य समस्त प्राविधान (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 350 (I)-विनियम एवं कांविनी-29/पाकालि/17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।

(क्रमशः . . . 2)

- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 15- अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं० 691/पाकालि/बैठक/2017 दिनांक 16.12.2017 द्वारा प्रेषित निदेशक मण्डल की दिनांक 15.12.2017 को परिचालन विधि से लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त के अनुपालन में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)

28